Expenditure on foreign visits of Scientists to be borne by concerned Govt. depts and not by CSIR

Tel: 91-11-23379,1134
Email: svsarma@csir.res.in
Fax: 91-11-23316467, 23739041, 23710618, 23714788

COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhavan, 2 Rafi Marg New Delhi-110001
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2 रफी मार्ग नई दिल्ली 110001

273
29/12/04

ऐकमा :- प्रमुख
अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान तथा तकनीकी संबंध प्रभाग

सं० 27/विविध/इस्टैब-2004.

दिनांक:- 06-12-2004.

सेवा में

निदेशक
सभी प्रयोगशालायें ।

विषय:- भारत सरकार के विभिन्न विभागों के विदेश भ्रमण के लिए बनाए गए डेलिगेशन में परिषद् के विशेषज्ञ वैज्ञानिक की भागीदारी पर होने वाले खर्च के संबंध में।

महोदय,

शासन के विभिन्न विभाग जब किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए विदेश भ्रमण हेतु एक डेलिगेशन का गठन करते है तो कभी-कभी परिषद् की वैज्ञानिक एंव औद्योगिक अनुसंधान में विशेषज्ञता को देखते हुए संबंधित क्षेत्र के निदेशक अथवा किसी वैज्ञानिक को भी सदस्य नामित कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में वह विभाग परिषद् की संबंधित प्रयोगशालाओं को सुचित करते हुए यह अनुरोध करता है कि इस विदेश भ्रमण का व्यय संबंधित प्रयोगशाला /परिषद् द्वारा वहन किया जाए।

परिषद् की 38 प्रयोगशालाए विभिन्न विषयों में विशेषज्ञता रखती हैं और समय-समय पर अलग-अलग प्रयोगशालाओं के निदेशक अथवा वैज्ञानिक के विशेष ज्ञान के कारण उसका लाभ उठाने के लिए उनको ऐसे प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया जाता है अत: यह यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे विदेश भ्रमण के संबंध में होने वाले व्यय को भारत सरकार के उस (संबंधित) विभाग द्वारा ही वहन किया जाना होगा जो उनकी सेवाओं का लाभ उठाना चाह रहा है।

अत: भविष्य में जब भी इस संबंध में भारत सरकार के किसी विभाग से अनुरोध प्राप्त हो, तब प्रारम्भ में ही यह स्पष्ट कर दिया जाए कि यदि वे विशेषज्ञ के रूप में परिषद् के किसी वैज्ञानिक की सेवाएं लेना चाहते हैं, तब ऐसे विदेश भ्रमण का पूरा व्यय संबंधित विभाग को वहन करना होगा।

कृपया भविष्य में ऐसे भ्रमण के संबंध में परिषद् मुख्यालय से बजट की माँग न की जाए।

उपरोक्त आदेश महानिदेशक के अनुमोदन से जारी किए जा रहें हैं।

भवदीय
एस.वी. शर्मा
(एस.वी.शर्मा)
अवर सचिव

प्रतिलिपि:-

1. उपसचिव, महानिदेशक कार्यालय।
2. अवर सचिव, कार्यालय, संयुक्त सचिव प्रशासन एवं प्रमुख ईस्टैब
3. निजि सचिव, वित्त सलाहकार ।
4. निजि सचिव, विधि सलाहकार ।
5. वरिष्ठ वित्त सलाहकार (वित्त एंव लेखा)
6. उपसचिव (केन्द्रिय कार्यालय)
7. प्रमुख (टी एन वी डी)
8. इस्टैब के अन्तर्गत सभी वैज्ञानिक ।